

F.No. 2(9)/2000-DPE (WC) GL-II/11

Government of India

Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises  
Department of Public Enterprises

Public Enterprises Bhawan  
Block 14, CGO Complex,  
Lodi Road, New Delhi-110003  
Dated : 17<sup>th</sup> January, 2011

**OFFICE MEMORANDUM**

Subject:- Board level posts and below Board level posts including non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.1997 – Payment of IDA at revised rates regarding.

In modification of this Department's O.Ms. of even No. dated 18.10.2010 and 05.08.2010 the rate of DA payable to the executives of CPSEs may be as follows:

<u>Effective Date</u>	<u>Average of AICPI</u>	<u>Revised DA rates (%)</u>
01.01.2011	4125	141.5%

These rates may be made applicable in the case of IDA employees, whose pay have been revised with effect from 01.01.1997 as per DPE O.M. dated 25.06.1999.

2. All Administrative Ministries/ Departments of the Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for action at their end.

  
(P. J. Michael)  
Under Secretary

To  
All the administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

1. Chief Executive of Central Public Sector Enterprises.
2. Financial Advisers in the Administrative Ministries/ Departments.
3. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi
4. The Comptroller & Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhayay Marg, New Delhi
5. NIC, DPE with the request to upload this OM on to the DPE website.

  
(P. J. Michael)  
Under Secretary

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

\*\*\*\*

लोक उद्योग भवन,

ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

दिनांक : 17 जनवरी, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.1997 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान।

इस विभाग के दिनांक 18. 10.2010 और 05.08.2010 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का आशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरों में निम्नप्रकारेण संशोधन कर दिया जाए:

प्रभावी तिथि      अखिल भारतीय उपभोक्ता  
मूल्य सूचकांक का औसत

संशोधित महंगाई भत्ते  
की दरें (%)

01.01.2011

4125

141.5%

महंगाई भत्ते की ये दरें औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी, जिनके वेतन लोक उद्यम विभाग के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.1997 से संशोधित कर दिए गए हैं।

2. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में ला दें।

*(Handwritten Signature)*

(पी. जे. माईकल)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-1। शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए।

*(Handwritten Signature)*

(पी. जे. माईकल)

अवर सचिव, भारत सरकार